पत्रांक 10/न4-016/2002 मा0 357

बिहार सरकार,

मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत बिहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092.

पटना, दिनांक 24-6-05

विषय- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 23-6-05 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिना किसी शर्त के/सशर्त्त निर्गत करने का निर्णय लिया गया-

1: गोईटल पब्लिक स्कूल पीरपैंती, भागलपुर	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
2: डी0ए0भी0पब्लिक स्कूल, गोशाला रोड मुंगेर	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
3: डी0के0कारमेल आवासी उच्च विद्यालय, आरा(भोजपुर)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
4: विवेकानन्द मिशन स्कूल, विले, बिहार, दाउदनगर, औरंगाबाद	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
5: एस0के0पी0विद्या बिहार, भागलपुर	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
6: इमेन्युअल मिशन हाई स्कूल, आनन्दनगर सीवान	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
7: चन्द्रशील विद्यापीठ, काँटी, मुजफ्फरपुर	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। सी0बी0एस0ई0बोर्ड भूमि संबंधी शर्तों के संबंध में संतुष्ट हो लेगी।
8: मानव भारती नेशनल स्कूल, आई0टी0आई0, बोधगया, गया	इस शर्त्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी0बी0एस0ई0बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायगी।
9: संत मेरिस स्कूल, अशोकनगर, पटना	प्राचार्य, डॉन बास्को विद्यालय के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि विद्यालय को भूमि एवं भवन उपलब्ध है किन्तु सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता के पूर्व विद्यालय भूमि संबंधी शर्त पूरा कर लेगा।

10:बेथल मिशन स्कूल, किशनगंज	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि विद्यालय सी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व भूमि एवं भवन संबंधी शर्त पुरा कर लेगा और शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे।
11: मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कोर्ट एरिया, जहानाबाद।	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि विद्यालय के द्वारा पाँच वर्ष बाद जब नया भवन बन जायगा उस समय विद्यालय, नये भवन में हस्तान्तरित होने की सूचना सरकार को देगे।
12: संत सेपिजियस एडुकेशनल सोसाइटी क्रिश्चन क्वार्टर्स, चर्च रोड, बोर्ड नं-3, पश्चिमी चम्पारण।	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
13: सैंट जौन्स रेजिडेंसियल पब्लिक स्कूल, सोनागोपालपुर, सम्पतचक, पटना	इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी० बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर लीजायगी।
14:शान्ति निकेतन जुबली स्कूल, शान्तिपुरी मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	इस शर्त्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी० बी०एस०ई०बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायगी।

विश्वासभाजन,

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 357 पटना, दिनांक 24-6-05

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रति वर्ष कम से कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है-

क) विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षा/शिक्षकेत्तर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो।

ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

-3/

घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरूद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिससे समाज में विभिन्न सोसाइटी के बीच कटुता पैदा हो,

च) सी0बी0एस0ई मापदंड के अनुरूप भवनों में सी0बी0एस0ई0मापदंड के अनुरूप विद्यार्थी की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 357 पटना, दिनांक 24-6-05

प्रतिलिपि सचिव/ निदेशक, मा0शि0/ निदेशक, प्रा0शि0/ संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 357 पटना, दिनांक 24-6-05

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।